भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1747

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

गंगा में प्रदूषण का उपशमन

1747. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार, गंगा में प्रदूषण के उन्मूलन से संबंधित कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गंगा की सफाई के लिए कोई समिति गठित की गई है/गठित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गंगा की सफाई के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों और उसकी अवधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) नदी की सफाई एक निरंतर प्रक्रिया है तथा भारत सरकार गंगा नदी में प्रदूषण संबंधी चुनौतियों के निदान हेतु राज्य सरकार के प्रयासों में उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके सहयोग कर रही है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी की स्वच्छता और पुनरूद्धार के लिए सीवेज, औद्योगिक बहिस्रोव, ठोस अपशिष्ट इत्यादि, नदी तट प्रबंधन, अविरल धारा, ग्रामीण स्वच्छता, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, सार्वजनिक भागीदारी इत्यादि सहित प्रदूषण उपशमन कार्यकलापों जैसे विविध कार्य किए गए हैं।

अब तक 28613.75 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत के साथ कुल 305 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है, जिनमें से 109 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और उन्हें परिचालन में लाया गया; शेष बची परियोजनाएं, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत सितंबर, 2019 तक 150 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को (111 गंगा की मुख्य शाखा के रूप में तथा 39 सहायक नदियों पर) प्रतिदिन 3731.14 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की नई क्षमता के सृजन, 1114.39 एमएलडी की क्षमता के पुनरूद्धार

और लगभग 4972.35 किमी. की सीवरेज प्रणाली को बिछाने के लिए 23130.95 करोड़ रूपए की मंजूर की गई लागत के साथ आरंभ किया गया है।

सितंबर, 2019 तक इनमें से 45 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप 612.84 एमएलडी की एसटीपी क्षमता का सृजन हुआ है और 2940.75 किमी. की सीवेज प्रणाली बिछाई गई है।

(ख) और (ग) दिनांक 07.10.2016 के गंगा नदी (पुनरूद्धार, निवारण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार नमामि गंगे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दिशा निर्देश, समन्वय और मॉनीटर करने के परिप्रेक्ष्य से (i) केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त कार्य बल (ii) संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता के तहत बेसिन राज्यों में राज्य गंगा संरक्षण, निवारण और प्रबंधन समितियां तथा (iii) गंगा जिलों के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला गंगा समितियों का गठन किया गया है। इन सभी समितियों को व्यापक और समेकित रूप में पुनरूद्धार के कार्य करने हेतु विविध स्टेक होल्टरों के मंचों के रूप में गठित किया गया है।

(घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के प्रभावी रूप से उपशमन, संरक्षण और पुनरूद्धार के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 2014-15 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रूपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ जून, 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम एनएमसीजी को सौपा गया है।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बजट सामान्य बजट में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के मांग अनुदान से प्रदान किया जाता है। एनएमसीजी के शुरू होने से लेकर अर्थात वित्त वर्ष 2014-15 से 31 अक्टूबर, 2019 तक वर्षवार अंतिम आवंटन निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	**कुल (करोड़ रूपए में)**
2014-15	2,053.00
2015-16	1,650.00
2016-17	1,675.00
2017-18	3,023.42
2018-19	2,370.00
2019-20*	1,970.00
कुल	**12,741.42**

(*31 अक्टूबर, 2019 तक)

******